भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2024

क्रमांक 1852/मप्रविनिआ/2024. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181, सहपठित धारा 39 की उप–धारा(2) के खण्ड(घ) के उप–खण्ड (एक), धारा 40 के खण्ड(ग) के उप–खण्ड(एक), धारा 66 तथा धारा 86 की उप–धारा(1) के खण्ड (ग) तथा धारा 86 की उप–धारा (2) के खण्ड (एक) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, 'मध्यप्रदेश सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023 (क्रमांक आरजी–34(II), वर्ष 2003)' जिसे एतद् पश्चात् **'मूल संहिता'** निर्दिष्ट किया गया है, में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023 में प्रथम संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ (Short Title and Commencement) :**

1.1 यह संहिता **"मध्यप्रदेश सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023 (प्रथम संशोधन) [क्रमांक एआरजी–34(II)(i), वर्ष 2024]"** कहलाएगी।

1.2 यह संहिता मध्यप्रदेश के शासकीय "राजपत्र" में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू होगी।

2. **मूल संहिता के खण्ड 6 में संशोधन :**

मूल संहिता के खण्ड 6 के उप–खण्ड(2) में निम्न संशोधन किया जाए, अर्थात् :

खण्ड 6 के उपखण्ड (2) के प्रथम अनुच्छेद (paragraph) में शब्दों **"प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी"** के स्थान पर शब्द तथा प्रतीक चिन्ह (symbols) **"प्रत्येक राज्यान्तरिक इकाई {नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों, जल विद्युत उत्पादकों तथा निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को छोड़कर}"** स्थापित किये जाएं।

3. **मूल संहिता के अध्याय 7 में संशोधन :**

3.1 **मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (8) के उप–खण्ड (एक) में निम्नानुसार संशोधन किये जाएं, अर्थात् :**

शब्दों **"कुल विचलन प्रभारों (Total Deviation Charges)"** के स्थान पर शब्द **"क्षेत्रीय विचलन प्रभारों"** स्थापित किये जाएं तथा द्वितीय वाक्य के स्थान पर निम्न वाक्य तथा प्रतीक चिन्ह यथा, **"राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कुल विचलन प्रभारों (भुगतान–योग्य /प्राप्ति–योग्य) तथा क्षेत्रीय विचलन प्रभारों का मिलान दिवस स्तर पर किया जाएगा।"** स्थापित किया जाए।

3.2 मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (15) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :

हिन्दी संस्करण में संशोधन किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

3.3 मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (23) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :

मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (23) में शब्दों **"विद्युत वितरण कम्पनियों"** के स्थान पर शब्द तथा प्रतीक चिन्ह **"राज्यान्तरिक इकाइयों {नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों, जल विद्युत उत्पादकों तथा निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को छोड़कर}"** स्थापित किये जाएं।

3.4 मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (23)(क) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :

मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (23)(क) के प्रारंभ में शब्दों **"विद्युत वितरण कम्पनी"** के स्थान पर शब्द तथा प्रतीक–चिन्ह **"राज्यान्तरिक इकाई {नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों, जल विद्युत उत्पादकों तथा निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को छोड़कर}"** स्थापित किये जाएं।

3.5 मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (23)(ख) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :

मूल संहिता के खण्ड के खण्ड 7 के उप–खण्ड (23)(ख) के प्रारंभ में शब्दों **"विद्युत वितरण कम्पनी"** के स्थान पर शब्द तथा प्रतीक–चिन्ह **"राज्यान्तरिक इकाई {नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों, जल विद्युत उत्पादकों तथा निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को छोड़कर}"** स्थापित किये जाएं।

3.6 मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (23)(ग) के स्थान पर निम्न उप–खण्ड (ग) स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"(ग) "राज्यान्तरिक इकाई {नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों, जल विद्युत उत्पादकों तथा निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को छोड़कर) द्वारा भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य प्रतिक्रियाशील प्रभारों की संक्षेपिका (टीपः प्रतिक्रियाशील ऊर्जा की दर आयोग द्वारा समय–समय पर जारी पृथक आदेशों/ अधिसूचना के माध्यम से अनुमोदित की जाएगी। जब तक आयोग द्वारा आदेश जारी न कर दिये जाएं, दरें समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (IEGC) में निर्दिष्ट की गई दरों से प्राप्त की जाएंगी।"

3.7 मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (24) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :

उप–खण्ड (24) के उप–खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) में शब्दों **"विद्युत वितरण कम्पनी"** के स्थान पर शब्द तथा प्रतीक चिन्ह **"राज्यान्तरिक इकाई {नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों, जल विद्युत उत्पादकों तथा निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को छोड़कर}"** स्थापित किये जाएं।

3.8 मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (26) तथा उप खण्ड 26(ड़) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :

मूल संहिता के खण्ड 7 के उप–खण्ड (26) में नाम पद्वति (परिभाषित शब्दावली) में तथा उप खण्ड 26(ड़) में दो स्थानों पर प्रकट हो रहे शब्दों **"विद्युत वितरण कम्पनियों"** के स्थान पर दोनों स्थानों पर शब्द तथा प्रतीक–चिन्ह **"राज्यान्तरिक इकाइयों {नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों, जल विद्युत उत्पादकों तथा निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को छोड़कर}"** स्थापित किये जाएं।

टीपः इस "मध्यप्रदेश सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023 (प्रथम संशोधन) [क्रमांक एआरजी–34(II)(i), वर्ष 2024]" के हिन्दी रूपान्तरण की व्याख्या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्ता पाण्डा, आयोग सचिव.

Bhopal, the 1st August 2024

No. 1852/MPERC /2024/In exercise of the powers conferred under Section 181 read with sub-clause (i) of clause (d) of sub-section (2)of Section 39, sub-clause (i) of clause (c) of Section 40, section 66, clause (c) of sub-section (1) of Section 86and clause (i) of sub-section (2) of Section 86of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003),Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in the 'Madhya Pradesh Balancing and Settlement Code, 2023 (No. RG- 34(II) of 2023)' herein after referred to as the **'Principal Code'** namely: -

FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH BALANCING AND SETTLEMENTCODE, 2023

1. Short Title and Commencement-

1.1. This Code shall be called **"Madhya Pradesh Balancing and Settlement Code 2023 (First Amendment) [ARG-34(II)(i) of 2024]".**

1.2. This Code shall come into force from the date of its publication in the official Gazette of Government of Madhya Pradesh.

2. Amendment to Clause 6 of the Principal Code:

Following amendment shall be made in Sub-clause (2) of the Clause 6 of the Principal Code, namely:

Words **"each Discom"** in the first paragraph of Sub-clause (2) of the Clause 6shall be substituted by words and symbols "**each Intra State Entity(Excluding RE Generators, Hydro Generators and Open Access Customers)".**

3. Amendment to Clause 7 of the Principal Code:

3.1. **Following amendments shall be made inSub-clause (i) of the Sub-clause (8) of Clause 7 of the Principal Code, namely:**

Words "**for total Deviation Charges**" in the First sentence of Sub-clause (8) (i) of Clause 7 of the Principal Code shall be substituted by the words "**with Regional Deviation Charges**" and words "**of Discoms**" in Second sentence of the Sub-clause (8) (i) of Clause 7 of the Principal Code shall be substituted by the words "**by State Discoms and Regional Deviation Charges**".

3.2. **Following amendment shall be made in the Sub-clause (15) of Clause 7 of the**

Principal Code, namely:

Words "**accordance with**" repeated after the same words "accordance with" in the Sub-clause (15) of Clause 7 of the Principal Code shall be deleted.

3.3. **Following amendment shall be made in the Sub-clause (23) of Clause 7 of the Principal Code, namely:**

Word"**Discoms**" in the Sub-clause (23) of Clause 7 of the Principal Code shall be substituted by the words and symbols "**Intra State Entities (Excluding RE Generators, Hydro Generators and Open Access Customers)**".

3.4. **Following amendment shall be made in the Sub-clause(23) (a) of Clause 7 of the Principal Code, namely:**

Word "**Discom**" in the end of the Sub-clause (23) (a) of Clause 7 of the Principal Code shall be substituted with words and symbols "**Intra State Entity(Excluding RE Generators, Hydro Generators and Open Access Customers)**".

3.5 **Following amendment shall be made in the Sub-clause(23) (b) of the Sub-clause (23) of Clause 7 of the Principal Code, namely:**

Word "**Discom**" in the end of the Sub-clause (23) (b) of the Sub-clause (23) of Clause 7 of the Principal Code shall be substituted with words and symbols "**Intra State Entity(Excluding RE Generators, Hydro Generators and Open Access Customers)**".

3.6 **Sub-clause (23) (c) of Clause 7 of the Principal Code shall be substituted by the following Sub-clause, namely:**

"(c) Summary of Reactive Charges payable/receivable by the Intra State entity(Excluding RE Generators, Hydro Generators and Open Access Customers) [Note: Rates of reactive energy shall be taken as approved by the Commission with separate orders/notifications from time to time. Till such time rates are not approved by the Commission, rates shall be taken as specified in IEGC]".

3.7**Following amendment shall be made in the Sub-clause (24) of Clause 7 of the Principal Code, namely:**

Word "**Discom**" in theSub-clause (a), (b), (c) and (d) of the Sub-clause (24) of Clause 7 of the Principal Code shall be substituted with words and symbols "**Intra State Entity(Excluding RE Generators, Hydro Generators and Open Access Customers)**".

3.8 **Following amendment shall be made in the Nomenclature of Sub-Clause 26 and Sub-clause (26) (e) of Clause 7 of the Principal Code, namely:**

Word "**Discoms**" appearing in two places in the Nomenclature of Sub-clause (26) and Sub-clause (26) (e) of Clause 7 of the Principal Code shall be substituted with words and symbols "**Intra State Entities(Excluding RE Generators, Hydro Generators and Open Access Customers)**" in both the places.

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Commission Secy.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

No. A-4864 Jabalpur, the 29th June 2024

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the Constitution of India, the Acting Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, hereby, makes the following amendments in the High Court of Madhya Pradesh Services (Recruitment, General Conditions of Services, Conduct Classification, Control and Appeal) Rules, 2017, namely ;

AMENDMENTS

In the said rules, in schedule-I ;

1. In serial No.67, in column No.6, in point No. 01, for the words "Maximum Under-graduate (the candidate should have passed the qualifying examination from the recognized Boards/Universities)", the words "Maximum 12th standard passed from any Board/Institution recognized by Government." shall be substituted.

2. In serial No.68, in column No.6, for the words "Class X from any recognized board" the words "Minimum 10th standard and maximum 12th standard passed from any Board/Institution recognized by Government" shall be substituted.

3. In serial No.69, in column No.6, between the words "having" and "and ITI" for the words "passed Class X Examination from any recognized Board" the words "minimum 10th standard and maximum 12th standard passed from any Board/Institution recognized by Government" shall be substituted.